कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 ....14.... / 2015–16

डा0 मनोज कुमार
पिता स्व0 मथुरा प्रसाद
वार्ड नं0 22, झु0 ति0, कोडरमा।

4.01.16 आवेदक डा0 मनोज कुमार पिता स्व0 मथुरा प्रसाद, वार्ड नं0 22, झु0 ति0, जिला कोडरमा के द्वारा मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 305, 298, 294, 300 प्लॉट सं0 1223, 1224, 1222, 1225 रक्वा 400.5, 1307, 264, 207 वर्ग फीट भूमि की सरकारी रसीद पंजी ।। के पेज नं0 129/33 से निर्गत हो रहा है, परन्तु खाता नं0 305 गैरमजरूआ खास भूमि होने के कारण शेष भूमि का सरकारी रसीद निर्गत नही हो पा रहा है। आवेदक के द्वारा गैरमजरूआ खास भूमि को छोड़कर शेष भूमि का लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध मे हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।
अभिलेख दिनांक ....16.2.16.... को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 4.1.16
अचंल अधिकारी,
कोडरमा ।

16.2.16 अभिलेख उपस्थापित।

19.3.16 अचल अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा गुमो, थाना सं0 12, के चालु पंजी II के पेज नं0 129/33 पर खाता सं0 305, 298, 294, 300 प्लॉट सं0 1223, 1224, 1222, 1225 रक्वा 400.5, 1307, 264, 207 कुल 2178.5 वर्ग फीट भूमि डा0 मनोज कुमार पिता स्व0 मथुरा प्रसाद के नाम से दर्ज है। लगान वर्ष 2011–12 तक वसूल है। हल्का कार्यालय में उपलब्ध गैरमजरूआ खाश पंजी का अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त पंजी में खाता नं0 305 गैरमजरूआ खाश खाते की भूमि है तथा खाता नं0 298, 294 एवं 300 रैयती खाते की भूमि है।

उक्त परिस्थिति में खाता नं0 305, गैरमजरूआ खास भूमि होने के कारण, शेष भूमि का सरकारी रसीद आवेदक के नाम से निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। उपायुक्त, कोडरमा का आदेश स्वतः स्पष्ट है एवं उक्त आदेश में केवल गैरमजरूआ खाश खाते की भूमि की खरीद–बिक्री एवं लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगाया गया है। रैयती भूमि पर इस प्रकार का रोक लगाने से अकारण राजस्व की हानि होगी।

अतः अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर मौजा गुमो, थाना सं0 12 अर्न्तगत पंजी ।। के पृष्ठ सं0 129/33 पर दर्ज गैरमजरूआ खाता सं0 305 को छोड़कर खाता सं0 298, 294 एवं 300, प्लॉट सं0 1224, 1222, 1225 रक्वा 1307, 264, 207 वर्गफीट रैयती खाते की भूमि का लगान रसीद डा0 मनोज कुमार पिता स्व0 मथुरा प्रसाद के नाम से निर्गत करने की स्वीकृति दी जाती है।

(हस्ताक्षर) 19.3.16
अचंल अधिकारी,
कोडरमा ।

Scanned with CamScanner